


30/07/22

(पानचक)

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थितता
पत्रावली का अवरुद्ध करने पर पाया कि प्रकरण में
वर्णित पक्षकालन (दि मध्य इली) विषय-वस्तु का वाद
माननीय सविन्याय न्यायाधिक मजिस्ट्रेट गौरी जिन्ना बांसवाड़ा
में विचारणीय है द्वारा 10 सी.पी.पी. में यह प्रावधान
है कि कोई भी प्रकरण दो न्यायालय में संस्थित नहीं
किया जा सकता। ऐसी स्थिति में प्रकरण में आगे
कार्रवाई करना न्यायोचित नहीं होने के कार्रवाई
इसी स्टेज पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली के साथ
शुभार होकर सविन्याय न्यायाधिक मजिस्ट्रेट की



(नरेश वुनकर)

अतिरिक्त जिला क्लर्क, बांसवाड़ा